

कार्य आरम्भ न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:-

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 105/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र डोईवाला दूधली मुख्य मार्ग से चांदमारी मिस्सरवाला लच्छीवाला पुल तक मोटर मार्ग का डबल लेन में निर्माण एवं फुटपाथ का निर्माण हेतु 3.600 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

आरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल :-	3.300 है0
सिविल भूमि का क्षेत्रफल :-	0.300 है0
कुल योग :-	3.600 है0

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत, भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रस्तावित मोटर मार्ग पर अभी किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी
लच्छीवाला रेंज
देहरादून वन प्रभाग


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
ऋषिकेश


प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून